



जे.पी.आर.5-833

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005
फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803
ईमेल - se_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ.(वा.)/सी-1/पत्रा/प्रे0 2449

जयपुर, दिनांक- 31.01.2017

आदेश

विषय :- मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना।

ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतीकृत ढाणियों में स्थित आवासों में घरेलु विद्युत कनेक्शन हेतु लागू "मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना" के संदर्भ में निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.) /सी-1 /पत्रा /प्रे0 1258 जयपुर, दिनांक- 16.09.2016 (जेपीआर 5-808) की निरन्तरता में उपभोक्ताओं में संशय दूर करने हेतु उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 5 के संदर्भ में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पोल पर स्थापित मीटर से सर्विस लाइन यदि उपभोक्ता चाहे तो स्वयं के आवास तक एल.टी. अण्डरग्राउण्ड आर्मड केबल द्वारा अथवा आवेरहेड केबल/एबी केबल द्वारा ले जा सकता है जिसकी अधिकतम दूरी 500 मीटर से अधिक नहीं होगी।

आदेश क्रमांक 1258 दिनांक 16.09.2016 (जेपीआर 5-808) की शेष सभी नियम व शर्तें यथावत् रहेगी।

आज्ञा से

(के .के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)